न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक 83-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-9-2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 6/पुनर्विलोकन/2015-16

1-दिनेन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री बंशीधर पाराशर
2-नरेन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री बंशीधर पाराशर
निवासीगण ई 5/135 अरेरा कॉलोनी भोपाल म0प्र0

-------आवेदकपक्ष

विरूद्ध

1-रमेशचन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री मुरलीधर पाराशर
निवासी ई 5/135 अरेरा कॉलोनी भोपाल म0प्र0
2-महेश पाराशर आ0स्व0श्री मुरलीधर पाराशर
निवासी ग्राम बांईबीडी तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.

--------अनावदेकापक्ष

श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक--आवेदकगण
श्री रमेशचन्द्र पाराशर, अभिभाषक--अनावदेकगण

** आ दे श **

(आज दिनांक 5/3/18 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-9-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नजूल अधिकारी रा0परि0 टी0टी0नगर भोपाल के प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/11-12 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 2-11-2011 को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु अनावेदक क्रमांक 1 रमेशचन्द्र पाराशर द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/पुनर्विलोकन/2015-16 दर्ज कार्यवाही करते हुये यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण में उभयपक्ष को विधिवत् सूचना पत्र जारी नहीं कर पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया । राजस्व निरीक्षक ने स्थल जॉच का पंचनामा तैयार नहीं किया है, मात्र प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि उक्त नामान्तरण में अनावेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है । कलेक्टर द्वारा दिनांक 12-9-2016 को आदेश पारित कर प्रकरण को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति दिये जाने का पर्याप्त आधार होने के कारण नजूल अधिकारी रा0परि0 टी0टी0नगर भोपाल के प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 2-11-2011 को संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि उक्त आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या बदला नहीं जायेगा जब तक कि सभी सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा उन्हें समर्थन का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नजूल अधिकारी के आदेश दिनांक 2-11-11 को पुनर्विलोकन में लेने के लिये आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है जबकि संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत आवेदन नजूल अधिकारी को दिया जाना चाहिये था । ऐसी दशा में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-9-2016 विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) संहिता की धारा 51(1) में पुनर्विलोकन का आवेदन केवल वही पक्षकार कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहा हो जबकि अनावेदक क्रमांक 1 हितबद्ध पक्षकार नहीं है । ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 1 को आदेश दिनांक 2-11-11 को पुनर्विलोकन में लेने का आवेदन देने की अधिकारिता नहीं थी ।

(3) संहिता की धारा 51 के आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की गई है जबकि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन आदेश दिनांक 2-11-11 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु दिनांक 25-7-2016 को प्रस्तुत किया गया है जो समयावधि बाधित था तथा विलम्ब का सदभावी कारण भी नहीं बताये जाने के बावजूद भी पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि वसीयतकर्ता के सभी वारिसों को निराकरण के पूर्व सुना जाना आवश्यक है जबकि आदेश दिनांक 2-11-11 पारित कियेजानेके पूर्व आवेदकगण के अलावा बंशीधर के शेष वारिसों को नजूल अधिकारी ने विधिवत् नहीं सुना है एवं अन्य विधिक वारिसों ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण के पक्ष में बंशीधर द्वारा की गई वसीयत का समर्थन किया गया है । अनावेदकगण बंशीधर के विधिक वारिस नहीं थे इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदकगणों के द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड / भवन के संबंध में माननीय जिला न्यायालय भोपाल के समक्ष स्वत्व घोषणा संबंधी व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि वर्तमान में प्रचलित है उक्त व्यवहार वाद क्रमांक 115ए/2015 में दिनांक 28-1-15 को जिला न्यायालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अनावेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन माननीय जिला न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुये अनावेदकों द्वारा कलेक्टर के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12-9-2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) आवेदकगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है उक्त भूखण्ड/भवन संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है जिस पर संयुक्त परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर है तथा बटवारा अनुसार अनावेदकगण आधिपत्यधारी है ।

(2) तत्समय वर्ष 1969 में विन्ध्याचल गृह निर्माण सोसायटी भोपाल में राजधानी परियोजना क्षेत्र भोपाल में शासन से अपने सदस्यों के लिये कुछ भूखण्ड प्राप्त किये थे और गृह निर्माण सोसायटी ने अपने सदस्यों को प्राप्त भूखण्ड आवंटित किये थे । भूखण्ड आवंटन बावत् स्पष्ट उल्लेख नजूल भूमि नियमों में तथा सहकारिता अधिनियम में किया गया है इसलिये अनावेदकगण दस्तावेजी साक्ष्य होने व कानूनी प्रावधान होने से उक्त नामान्तरण कराने के अधिकारी है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 2-11-11 में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिये कानूनी प्रक्रिया व नियमों का पालन नहीं होने से कलेक्टर न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के आदेश व अनुमति विधिवत् प्रदान की गई है ।

(4) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत संदिग्ध व साक्ष्य से परे होकर कूटरचित है क्योंकि उस पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं होकर विधिवत् नहीं है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/11-12 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 2-11-11 निरस्त किया जाकर कानूनी प्रावधान होने से व दस्तावेजी साक्ष्य होने के कारण व न्याय की मंशा के अनुरूपभूखण्ड क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट में से आधे 2000 वर्गफुट पर अनावेदकगण की नामान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये जाये।

इस संबंध में 1972 आरएन 173, 1998 आरएन 147, 1995 आरएन 65, 2009 आरएन 38, 1995 आरएन 432, 2010 आरएरन 191, 1985 आरएन 2010, के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी द्वारा सभी पक्षों को नहीं सुना गया इस कारण कलेक्टर ने प्रकरण के अनावेदकगण के आवेदन पर जानकारी में लाने से स्वमेव संज्ञान में लेकर पुनर्विलोकन अनुमति दी गई है । अन्तर्निहित शाक्तियों के तहत कलेक्टर को यह शक्तियॉ प्राप्त है और कलेक्टर इस कार्यवाही में कोई विधिक अनियमितता नहीं है । कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति में सभी पक्षों

को सुनने के बाद स्पष्ट निर्देश दिये हैं अत: उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित पुनर्विलोकन अनुमति आदेश वैधानिक एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-9-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर